नवीन वाहन स्क्रैपेज/कबाड़ नीति

प्रिलिम्स के लिये:

विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी

मेन्स के लिये:

नवीन वाहन स्क्रैपेज/कबाड़ नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'विज्ञान और पर्यावरण केंद्र' (Centre for Science and Environment- CSE) द्वारा पुराने वाहनों के संबंध में प्रभावी स्क्रैपेज नीति और बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर एक रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु:

- 'विज्ञान और पर्यावरण केंद्र' (CSE) नई दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक हित में अनुसंधान और समर्थन करने वाला गैर-लाभकारी संगठन है।
- वर्तमान में सरकार पुराने वाहनों के बेहतर निपटान के लिये 'नवीन वाहन कबाड़/परिमार्जन नीति' को लागू करने की योजना बना रही है।

नीति की आवश्यकता:

- वर्ष 2025 तक भारत में लगभग दो करोड़ से अनुपयोगी पुराने वाहन होंगे। इन वाहनों के अलावा अन्य अनुपयुक्त वाहन भारी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनेंगे।
- भारत को 'हरित अर्थव्यवस्था' की दिशा में आगे ले जाने के लिये कबाड़ नीति को एक साधन के रूप में प्रयोग करने का सुअवसर है।
- 'भारत स्टेज VI' (बीएस-VI) उत्सर्जन मानकों और इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीतियों को लागू किया जा रहा है, जिससे पुराने वाहनों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है।
- प्रदूषित नगरों में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme- NCAP) के तहत पुराने वाहनों को 'स्वच्छ वायु कार्रवाई' के हिस्से के रूप में बाहर किया जाना है।

CSE प्रमुख सिफारिशें:

अवसंरचना की स्थापना:

- नवीन नीति के तहत पुराने वाहनों के अधिकतम उपयोग का लाभ उठाना चाहिये और इसके लिये वाहनों के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण अवसंरचना को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- 'वाहन कबाड़/परिमार्जन के निपटान के लिये पर्यावरणीय रूप से अनुकूलित बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाया जाना चाहिये। वाहनों से स्टील, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक जैसी सामग्री की पुनर्प्राप्ति के लिये देश-व्यापी स्तर पर आवश्यक अवसंरचना को स्थापित किया जाना चाहिये।

राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus):

- नवीन परिमार्जन नीति को भारत स्टेज VI वाहनों से पुराने वाहनों को प्रतिस्थापित करने की नीति तथा आर्थिक सुधार एवं राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को जोड़ने की आवश्यकता है।
- परिमार्जन नीति में उन प्रोत्साहन उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है जो पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रतिस्थापन को बढ़ावा।

वनिर्मिंताओं को जम्मिेदारयिां:

- नीतिका नर्मािण इस प्रकार कयिा जाना चाहयि कियिह वाहन वनिर्मािताओं पर पुराने वाहनों के न्यूनतम 80-85 प्रतशित भाग को पुन: प्रयोज्य, पुनर्प्राप्तियोग्य, पुनर्चक्रण (Reusable, Recyclable, Recoverable- 3R) करने के लयि बाध्य करती हो।
- वाहनों के नर्मािण में सीसा, पारा, कैडमयिम या हेक्सावैलेंट क्रोमयिम जैसी ज़हरीली धातुओं का उपयोग नहीं कयिा जाना चाहयि।
- नीतिमें 'वसि्तारति नर्मािता ज़म्मिेदारी' (Extended Producer Responsibility- EPR) जैसे प्रावधानों को शामलि कयिा जाना चाहयि, नयिमों का नर्मािण इस प्रकार कयिा जाना चहयि कियि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

क्लस्टर आधारति दृष्टकिोण:

- नीतिके तहत बंदरगाहों के पास पुनर्चक्रण क्लस्टर स्थापति कयि जाने की योजना है जो देश में ऑटोमोबाइल वनिर्मािण उद्योग को बढ़ावा देगी।

नीतिका महत्त्व:

- ऑटोमोबाइल उद्योग के लयि कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा, क्योंकिनवीन वाहनों के उत्पादन में इन पुराने वाहनों से नकिले प्लास्टकि, रबर तथा एल्यूमीनयिम, ताँबा जैसी धातुओं का प्रयोग कयिा जाएगा।
- वाहन-जनति प्रदूषण में पुराने वाणज्यिकि वाहनों का हस्सिा बहुत अधकि (लगभग 65% तक) है। इन पर प्रतबिंध लगाने से वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- इस नीतिके लागू होने से नवीन वाहनों के उत्पादन में वृद्धहिोने की उम्मीद है। इससे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार बढ़ाने में मदद मलिेगी।

नष्किर्ष:

- पर्यावरणीय नुकसान और उत्सर्जन को कम करने तथा COVID-19 महामारी के बाद के समय में भारत को 'हरति अर्थव्यवस्था' बनाने के हस्सिे के रूप में कबाड़ से सामग्री को पुनर्प्राप्त करने के लयि एक अच्छी तरह से डज़िाइन की हुई नवीन परमिार्जन/कबाड़ नीतिकी आवश्यकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-vehicle-scrappage-policy